संख्या- 86 /2016-1303/नौ-5-16-79बजट/2015

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद लखनऊ ट्रांस गोमती क्षेत्र में निशातगंज, गुलाचीन मन्दिर के पास, जगरानी हास्पिटल से टेढ़ी पुलिया, कमला नेहरू नगर खुरर्म नगर रिंग रोड (हंस भक्ति धाम) के पास सीवर लाइन डालने एवं अन्य विविध कार्यो हेतु त्रतीय/अंतिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-68/बैंकिंग/2314-0017/15-16 दिनांक 31.03.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-82/2016-1162/नौ-5-16-79बजट/2015 दिनांक 31 मार्च, 2016 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ ट्रांस गोमती क्षेत्र में निशातगंज, गुलाचीन मन्दिर के पास, जगरानी हास्पिटल से टेढ़ी पुलिया, कमला नेहरू नगर खुरर्म नगर रिंग रोड (हंस भक्ति धाम) के पास सीवर लाइन डालने एवं अन्य विविध कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-176/2015-1869/नो-5-2015-79बजट/2015, दिनांक 08.06.2015 द्वारा रू0 835.76 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 एवं शासनादेश संख्या-321/2015-5672/नौ-5-15-79बजट/15 दिनांक 14-10-2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 326.38 लाख का व्यय हो जाने के दृष्टिगत अवशेष रू0 409.38 लाख की धनराशि त़तीय/अंतिम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया आये ।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या 86/2016-1324(1)/नौ-5-16-79बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (ल0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
10- -वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-16/04/2016

प्रेषण संख्या:- 86

आवंटन आदेश संख्या:- 001-86-2016-1303-9-5-16-79B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	40938000 40938000	40938000 40938000
	योग	वर्तमान प्रगामी	40938000 40938000	40938000 40938000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी